

नवीनीकरण प्रति

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय  
सेक्टर - 19 अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़

### अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

क्रमांक /00/ 580/Fire Service/2019-A /फायर सर्विस / एन\*ओ\*सी\* /2021/ दुर्ग

दिनांक : 08 Jun 2021

प्रमाणित किया जाता है कि श्री Mansarowar Vidyalaya के परिसर Mansarowar Vidyalaya Janjgiri (English Medium), Janjgiri BMY District Durg में स्थित Mansarowar Vidyalaya का इस विभाग द्वारा "अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र", पत्र क्रमांक- 580/Fire Service/2019 दिनांक 11 Sep 2019 को जारी किया गया था। इस परिसर का पुनः निरीक्षण इस विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री एस. जी. मोहम्मद द्वारा श्री श्री पवन साहू की उपस्थिति में दिनांक 07 Jun 2021 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV 2016 के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संबंधित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं संतोषजनक पाया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

### शर्तें

- 1 सभी अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
- 2 अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
- 3 अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचलित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का मार्ग ड्रिल कर इसका रिकार्ड बना कर रखा जावे।
- 4 बेंसमेट का उपयोग करने में बिस्किंग बाय लाइ का कड़ाई से पालन किया जावे।
- 5 मकान मालिक/कबजाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
- 6 अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से Mansarowar Vidyalaya में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की जिम्मेदारी पूर्णतः Mansarowar Vidyalaya की होगी जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी।



जारी दिनांक : 08 Jun 2021

  
निदेशक  
दुर्गिन अग्निशमन  
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ  
नगर सेना एवं आपातकालीन सेवाएँ, छत्तीसगढ़

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर